न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 51/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/78)

1. सुमन दत्तक पुत्री बृजलाल पत्नी रमेश कुमार, निवासी डाबला, हाल निवासी 2 एन. पी. (ढाणी) तहसील रायसिहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
2. सुमेश कुमार पुत्र शेलेन्द्र, निवासी डाबला, हाल निवासी 2 एन.पी. (ढाणी) तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती सुमित्रा पत्नी हंसराज, निवासी 5 एन पी पुलिस थाना मुकलावा, तहसील रायसिहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती पूजा पत्नी श्री मनीष कुमार, निवासी 5 एन पी पुलिस थाना मुकलावा, तहसील रायसिहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
3. मनीष पुत्र हंसराज, निवासी 5 एन पी पुलिस थाना मुकलावा, तहसील रायसिहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
4. उप तहसीलदार (भू–अभि) मुकलावा, तहसील रायसिहनगर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री हरीश मदान – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री अजय कुमार ओझा –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 01.04.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार (भू–अभि) मुकलावा तहसील रायसिहनगर के आदेश क्रमांकः–भू.अ./2022/976 दिनांक 24.11.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने उप तहसीलदार (भू–अभि) मुकलावा तहसील रायसिहनगर के आदेश क्रमांकः–भू.अ./2022/976 दिनांक 24.11.2022 जिसके तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम से इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है उसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर उक्त आदेश को अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि विवादित कृषि भूमि जो कि बृजलाल पुत्र हरभजन विश्नोई के नाम से चक 2 एन पी के खाता सं. 42, मु.नं. 35 की 3.037 हैक्टेयर एवं मुरबा नं. 39 की 3.364 हैक्टेयर नहरी कुल 6.401 हैक्टेयर है तथा रामेश्वरी पत्नी बृजलाल के नाम चक 2 एन पी के खाता सं. 64 में मु. नं. 39 की 3.200 हैक्टेयर स्थित है। श्री बृजलाल एव उसकी पत्नी रामेश्वरी लाऔलाद थी, उन्होने अपीलान्ट सं. 1 सुमन को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 27.02.2019 को लिया था। सुमन को गोद लेने से पूर्व ही बृजलाल एव रामेश्वरी ने सुमन के पक्ष मे दिनांक 24.01.2018 को वसीयत कर दी थी। बृजलाल का देहान्त दिनांक 29.08.2019 को हो गया था। बृजलाल के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि वसीयत के आधार पर अपीलान्ट सुमन देवी की हो गई। शेष भूमि रामेश्वरी के खाते की उनके जीवनकाल तक रही। रामेश्वरी के परिवारवालो पर भूमि खुर्द बुर्द करने की आंशका होने पर उसने उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के यहा दिनांक 21.01.2021 को वाद पेश किया और उस वाद में रिकार्ड की हद तक स्थगन आदेश पारित किया गया, जो रामेश्वरी देवी के देहान्त के बाद उक्त दावे को विड्रा कर लिया गया। अपीलान्ट सुमन को विरासतन इंतकाल दर्ज होने की जानकारी होने पर उसने उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के यहा दिनांक 21.01.2021 को अपील पेश की और उक्त अपील मे रिकार्ड की हद तक स्थगन आदेश प्राप्त किया, जो आज दिनांक तक प्रभावी है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को कब्जा प्राप्त नही होने पर उन्होने विवादित कृषि भूमि को लेकर शांतिभंग होने का लिखवाकर धारा 107, 116 (3) का परिवाद पेश किया तथा उसके साथ धारा 145, 146 जा.फौ. के तहत उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के यहा परिवाद पेश किया। उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्ट को बिना सुने दिनांक 03.06.2021 को विवादित कृषि बाबत रिसीवर नियुक्त कर दिया। जिसकी निगरानी अपीलान्ट की ओर से पेश की गई और दिनांक 14.06.2021 को स्वीकार की गई। अपीलान्ट के द्वारा कब्जा लेने के बाद रेस्पोडेन्ट की ओर से एस.बी. क्रिमीनल रिट पिटीशन सं. 7170/2021 पेश हुई, जिसमे यथास्थिति

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

के आदेश दिनांक 07.07.2021 को प्रदान किये गये। अपीलान्ट सुमन द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पक्ष फर्जी बैयनामा तैयार के विरूद्व एक FIR धारा 420, 467, 468 471, 120 बी भा.द.स के तहत थाने में दर्ज करवाई जो जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 स्वय कभी हाजिर नही, एक असक्षम मनीष नाम के व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.11.2022 को पारित किया है वो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तमाम विवादित कृषि भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित स्थगन आदेश, फौजदारी निगरानी मे पारित आदेश की प्रति, कब्जा सुमन को दिये जाने की प्रति, राज. उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की प्रति दिनांक 07.07.2021, विक्रय पत्र को अवैध निष्प्रभावी घोषित करने के दावे की प्रति, अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत की प्रति प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तमाम न्यायालयो के आदेशो को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2022 को पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सुमित्रा एव पूजा के पक्ष में पंजीकृत बैयनामा के आधार पर आदेश दिनांक 24.11.2022 पारित किया गया है जो सही है। रिकार्ड खातेदार द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बैचान किया गया है, कब्जा का आदान प्रदान हुआ है। बैयनामा विधि सम्मत है जो आज तक निरस्त नही हुआ है। तथाकथित वसीयत बाद मे तैयार की गई है तथा मूल वसीयत को गुम होना बताया गया है, फोटो स्टेट वसीयत पेश की गई है। मूल वसीयत मे गवाह एक व्यक्ति को बनाया गया है जो अपने आप में संदिग्ध है। बैयनामा सही या गलत का निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा तय किया जाना है। FIR सुमन द्वारा प्रस्तुत की गई वो झूठी पाई गई है। इन्तकाल की कार्यवाही एक Fiscal कार्यवाही है, जो कुछ भी तैय होना है वह सिविल न्यायालय के निर्णय अनुसार होना है। अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन इस कोर्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पर लागू नही होता है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में रामेश्वरी पत्नी बृजलाल द्वारा सुमित्रा पत्नी हंसराज को वाके चक 2 एन पी का खाता सं. 42/39 मुरब्बा नं. 35 पं. नं. 136/310 के किला नं. 3 ता 8 वा किला नं. 13/2 ता 17 वा 24,25 की कुल 3.037 है. नहरी भूमि का वा मुरब्बा नं. 39 पं. नं. 137/311 के किला नं. 1 ता 5 वा किला नं. 8/2 ता 12 व 17 ता 22 की कुल 3.364 है. नहरी भूमि कुल दोनो मुरब्बो की 6.401 है. नहरी भूमि में अपना 1/2 हिस्सा की 3.2005 नहरी भूमि को जरिए पंजीबद्व बैचाननामा दिनांक 14.0.1.2021 बैचान कर दिया गया। रामेश्वरी देवी पत्नी बृजलाल ने जरिए बैयनामा दिनांक 14.01.2021 को चक 2 एन पी तहसील रायसिहनगर का खाता सं 64/60 मुरब्बा नं. 39 पं. नं. 137/311 के किला नं. 6 ता 8/1 वा किला नं. 13 ता 15 वा किला नं. 17/1 की कुल 1.518 है नहरी भूमि जरिए पंजीबद्व बैचाननामा दिनांक 14.01.2021 को बैचान कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा श्री बृजलाल व रामेश्वरी के द्वारा सुमन के पक्ष में दिनांक 24.10.2018 को वसीयत किया जाना प्रतिवेदित किया है। वसीयत को सिद्व करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय मे निहित है। खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि बैचने का भी अंधिकार प्राप्त है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रजिस्टर्ड बैचाननामो से भूमि का बैचान किया जाना पाया है। रजिस्टर्ड बैचाननामें की वैधता परखने का कार्य सिविल न्यायालय का है व रजिस्टर्ड बैचाननामे के गलत/फर्जी होने के संबध में सिविल न्यायालय का कोई विनिश्चय पत्रावली पर नही है। अगर वसीयत को सही मान भी लिया जाए तो भी खातेदार काश्तकार द्वारा पंजीबद्व बैचाननामें से भूमि का बैचान, वसीयत किए जाने के पश्चात किया है, विधि के स्थापित सिद्धान्तो के मध्यनजर खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि का नियमानुसार बैचान करने के लिए स्वतंत्र है। अतः पंजीबद्व बैचाननामें के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दायर किए

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाने हेतु पारित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2022 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 01.04.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर